न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 64/2017

1. कृष्ण कुमार
2. सतपाल
3. सुनील कुमार

} पिसरान राजाराम जाति बिश्नोई पूनिया निवासीयान 55 ए ब्लॉक, श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित :

1. श्री इन्द्रजीत बिश्नोई अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री हरवीर सिंह बराड राजकीय अधिवक्ता

:: आदेश :: **दिनांक :– 10.09.2018**

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट कृष्णकुमार , सतपाल, सुनील कुमार व तीनो भाईयों द्वारा इक्टठा जो रकबा क्रय किया गया है उसके अनुसार इन्तकाल दर्ज ना करके सतपाल के नाम दो बार रकबा दर्ज किया गया है। इस प्रकार इंतकाल बैयनामाजात के अनुसार दर्ज ना करके गलत दर्ज किया गया है, अतः इंतकाल जेर अपील दुरूस्त करने योग्य है। इन्तकाल संख्या 21/01.05.1990 की नकल भी शामिल है, इसमें इंतकाल के खाना सख्या 09 में उपरोक्त बैयनामा के अनुसार ही रकबा सही तौर से दर्ज किया गया है, इस प्रकार इंतकाल संख्या 22 में भी खाना नम्बर 9 सख्या 21 के अनुसार ही रकबा दर्ज करके केवल मात्र रकबा को हैक्टेयर/हिस्सा में दर्ज करना आवश्यक था मगर पटवारी ने इंतकाल दर्ज करते समय इंतकाल संख्या 21 के खाना नम्बर 9 अनुसार रकबा दर्ज ना करके गलती की गई है जिसमें सुधार किया जाना तथा इन्तकाल संख्या 21 के खाना नम्बर 9 के अनुसार रकबा दर्ज करते हुए आगे हैक्टेयर/ हिस्सा दर्ज करना था। इंतकाल सख्या 22 दर्ज करते समय ना तो अपीलांटस को बुलाया गया तथा ना ही बैयनामाजात का सावधानी पूर्वक अवलोकन किया गया ना ही बैयनामाजात के अनुसार इंतकाल के खाना नम्बर 9 में रकबा दर्ज किया गया। इस प्रकार बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये व बिना इंतकाल नियमों की पालना किये यकतरफा तौर पर दर्ज किया गया है। अतः इन्तकाल काबिल दुरूस्ती के है जो कि इंतकाल नम्बर 21 के खाना नम्बर 9 के अनुसार नाम दर्ज कर प्रत्येक के रकबा के आगे रकबा हैक्टेयर/ हिस्सा में दर्ज करना आवश्यक है। अपीलांटस को सुनवाई का अवसर दिया जाता तो वह सही स्थिति स्पष्ट करते तथा इस प्रकार इंतकाल में गलती नहीं होती। अतः इन्तकाल नम्बर 22 में आवश्यक दुरूस्ती की जानी जरूरी है। लिहाजा अपील स्वीकार की जाकर इंतकाल सख्या 22 के खाना नम्बर 9 में आवश्यक दुरूस्ती करते हुए इंतकाल नम्बर 21 के खाना नम्बर 9 में दर्ज नामों के अनुसार दर्ज करते हुए रकबा हैक्टेयर/हिस्सा में दर्ज करने का आदेश फरमाया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट कृष्णकुमार , सतपाल, सुनील कुमार व तीनो भाईयों द्वारा इक्टठा जो रकबा क्रय किया गया है उसके अनुसार इन्तकाल दर्ज ना करके सतपाल के नाम दो बार रकबा दर्ज किया गया है। इस प्रकार इंतकाल बैयनामाजात के अनुसार दर्ज ना करके गलत दर्ज किया गया है, अतः इंतकाल जेर अपील दुरूस्त करने योग्य है। इन्तकाल संख्या 21/01.05.1990 की नकल भी शामिल है, इसमें इंतकाल के खाना सख्या 09 में उपरोक्त बैयनामा के

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अनुसार ही रकबा सही तौर से दर्ज किया गया है, इस प्रकार इंतकाल संख्या 22 में भी खाना नम्बर 9 सख्या 21 के अनुसार ही रकबा दर्ज करके केवल मात्र रकबा को हैक्टेयर/हिस्सा में दर्ज करना आवश्यक था मगर पटवारी ने इंतकाल दर्ज करते समय इंतकाल संख्या 21 के खाना नम्बर 9 अनुसार रकबा दर्ज ना करके गलती की गई है जिसमें सुधार किया जाना तथा इन्तकाल संख्या 21 के खाना नम्बर 9 के अनुसार रकबा दर्ज करते हुए आगे हैक्टेयर/ हिस्सा दर्ज करना था। इंतकाल सख्या 22 दर्ज करते समय ना तो अपीलांटस को बुलाया गया तथा ना ही बैयनामाजात का सावधानी पूर्वक अवलोकन किया गया ना ही बैयनामाजात के अनुसार इंतकाल के खाना नम्बर 9 में रकबा दर्ज किया गया। इस प्रकार बिना कानूनी प्रकिया अपनाये व बिना इंतकाल नियमों की पालना किये यकतरफा तौर पर दर्ज किया गया है। अतः इन्तकाल काबिल दुरूस्ती के है जो कि इंतकाल नम्बर 21 के खाना नम्बर 9 के अनुसार नाम दर्ज कर प्रत्येक के रकबा के आगे रकबा हैक्टेयर/ हिस्सा में दर्ज करना आवश्यक है। अपीलांटस को सुनवाई का अवसर दिया जाता तो वह सही स्थिति स्पष्ट करते तथा इस प्रकार इंतकाल में गलती नहीं होती। अतः इन्तकाल नम्बर 22 में आवश्यक दुरूस्ती की जानी जरूरी है। लिहाजा अपील स्वीकार की जाकर इंतकाल सख्या 22 के खाना नम्बर 9 में आवश्यक दुरूस्ती करते हुए इंतकाल नम्बर 21 के खाना नम्बर 9 में दर्ज नामों के अनुसार दर्ज करते हुए रकबा हैक्टेयर/हिस्सा में दर्ज करने का आदेश फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि इंतकाल सख्या 22 दर्ज करते समय इंतकाल के खाना नम्बर 9 में रकबा दर्ज किया गया। इस प्रकार बिना कानूनी प्रकिया अपनाये व बिना इंतकाल नियमों की पालना किये यकतरफा तौर पर रकबा दर्ज किया गया है। अतः पारित नामांतरकरण की प्रविष्टि काबिल दुरूस्ती के है जो कि इंतकाल नम्बर 21 के खाना नम्बर 9 के अनुसार नाम दर्ज कर प्रत्येक के रकबा के आगे रकबा हैक्टेयर/ हिस्सा में दर्ज किया न्यायसंगत है। अतः इन्तकाल नम्बर 22 को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट को पुनः का अवसर देकर अभिलेख के आलोक में नये सिरे से नामांतरकरण भरा जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि इन्तकाल संख्या 22 दिनांक 01.05.1990 नायब तहसीलदार रायसिंहनगर/मुकलावा जिसकी रूह से अपीलांटस के खरीदशुदा रकबा चक 11 टी.के. के तहसील रायसिंहनगर जो कि पांच बैयनामाजात से खरीद किया गया का इन्तकाल दर्ज करते समय बैयनामों के अनुसार अलग–अलग जैसा कि इंतकाल सख्या 21 में दर्ज किया गया था ना करके कृष्णकुमार के खरीदशुदा रकबा के लिए सतपाल का नाम इन्तकाल सख्या 22 दिनांक 01.05.1990 में दर्ज कर दिया गया को निरस्त किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है प्रकरण तहसीलदार रायसिंहनगर को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) करते हुए उन्हें अपीलांटस को पुनः सुनवाई का अवसर देते हुए नियमानुसार उक्त रकबा का बैयनामा अनुसार नये सिरे से नामान्तकरण भरकर पारित करें। आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 10.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/9/18

(नखतदान बारहठ)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन),श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)